

विषय :

विषय:- म.प्र.विधान सभा सचिवालय में स्वीकृत 20 संविदा कम्प्यूटर आपरेटर/डाटा एन्ड्री ऑपरेटर के पदों को नियमित पद की रवीकृति प्रदान किये जाने बाबत।

पूर्व पृष्ठ से:-

विधानसभा सचिवालय द्वारा प्रस्तुत प्रकरण/टीप के संबंध में लेख है कि दिनांक 05 जून, 2018 को जारी संविदा नीति-निर्देश की कंडिका 1.1 के अनुसार किसी भी विभाग की स्थापना में पूर्व से स्वीकृत संविदा आधारित पदों को नियमित पदों में परिवर्तित करने के लिए वित्त विभाग की सहमति का होना आवश्यक है। अतः प्रकरण में वित्त विभाग अपनी सहमति प्रदान करता है तो इसमें सामान्य प्रशासन विभाग को कोई आपत्ति नहीं है।
(अपर मुख्य सचिव, सा.प्र.विभाग द्वारा अनुमोदित)

Soh 11/03/2022
(शैलबाला ए. मार्टिन)

su अपर सचिव
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

उपरोक्त अनुमोदन अनुसार प्रशासकीय विभाग की नस्ती में परामर्श टीप अंकित कर हस्ताक्षर उपरांत लौटाने हेतु प्रस्तुत है।
अनु०अधिका०(3)

Soh 11/03/2022

SO

Soh
अनुमोदन अधिकारी
सामान्य प्रशासन विभाग कक्ष-

छव्वीस-२ सचिवालय
मंत्रालय
का विभाग
Sh. P. A.